

वन सलाहकार समिति (FAC)

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की [वन सलाहकार समिति \(FAC\)](#) ने पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिये वन भूमि पर बना अनुमति के दीवारें बनाने के लिये ओडिशा सरकार को फटकार लगाई।

वन सलाहकार समिति (FAC) क्या है?

परिचय:

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन [वन \(संरक्षण\) अधिनियम, 1980](#) द्वारा किया गया था।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत आता है।
- FAC उन औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनके कार्यकलापों के लिये वन भूमि की आवश्यकता होती है।
 - समिति को वशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन वन भूमि के परिवर्तन को अनुमोदित करने, असवीकार करने या अनुमति प्रदान करने का अधिकार है।
 - हाल ही में प्राप्त उपग्रह चित्रों से पता चला कपिरियोजना की प्रबंधन एजेंसी द्वारा FAC की मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही दीवार का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 क्या है?

- परिचय: [वन संरक्षण अधिनियम 1980](#) को वन-संबंधी कानूनों को सुव्यवस्थित करने, वनों की कटाई को वनियमिति करने, वन उत्पादों के परिवहन की नगिरानी करने तथा लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों पर शुल्क लगाने हेतु अधिनियमिति किया गया था।
 - इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, गैर-वनीय उद्देश्यों के लिये वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
 - यह मुख्य रूप से [भारतीय वन अधिनियम, 1927](#) अथवा वर्ष 1980 के राज्य अभिलेखों द्वारा मान्यता प्राप्त वन भूमि पर लागू होता था।
- सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या: [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा वर्ष 1996 में दिये गए गोदावर्मन नरिणय में वर्गीकरण या स्वामित्व की परवाह किये बिना वनों के संरक्षण का आदेश दिया गया।
 - इसने वनों या वन जैसे भू-भागों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो वनों के मलिते-जुलते क्षेत्रों को संदर्भित करता है, लेकिन सरकारी या राजस्व अभिलेखों में आधिकारिक तौर पर इस रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इससे "डीमड फॉरसेट" या ऐसे क्षेत्रों का वचिार सामने आया जो वनों के समान होते हैं, लेकिन सरकारी या राजस्व अभिलेखों में औपचारिक रूप से वनों के रूप में नरिदष्टि नहीं हैं।
- वनों की भिन्न-भिन्न परिभाषाओं के संबंध में चिा: भारत में राज्य सर्वेक्षणों और वशिषज्ज्ञ रपिरटों के आधार पर 'वनों' की अलग-अलग व्याख्या करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ सामने आती हैं।
 - उदाहरण के लिये, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अपनी परिभाषाओं को आकार, वृक्ष घनत्व तथा प्राकृतिक वृद्धि के आधार पर नरिधारित करते हैं, जबकि गोवा वन प्रजातियों के कवरेज पर नरिभर करता है।
 - वभिन्न परिभाषाओं के अनुरूप अनुमानित वन क्षेत्र भारत के आधिकारिक वन क्षेत्र का 1% से 28% तक है।
- वन संरक्षण अधिनियम में हालिया संशोधन:
 - हाल ही में पारित [वन \(संरक्षण\) संशोधन अधिनियम, 2023](#) का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्पष्टता लाना तथा वनों से संबंधित चिाओं का समाधान करना है।
 - इसमें अधिनियम के दायरे में वन भूमि के दायरे को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा भूमि की कुछ श्रेणियों को इसके प्रावधानों से छूट दी गई।
 - इसमें सड़कों और रेलमार्गों के साथ संपर्क के परयोजनों के लिये 0.10 हेक्टेयर तक वन भूमि, सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के लिये 10 हेक्टेयर तक तथा सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिये [वामपंथी उग्रवाद](#) प्रभावित जिलों में 5 हेक्टेयर तक वन भूमि को छूट दी गई है।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम नरिदेश में वन प्रशासन के प्रतपारंपरिक दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है, जिस पर

केंद्र द्वारा हाल ही में किये गए संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी नरिणय दिया ककिस्सी भी सरकार या प्राधकिरण द्वारा चड्डियाघर या सफारी के नरिमाण के लयि अंतमि मंजूरी न्यायालय से लेनी होगी।

वन संरक्षण के लयि पहल:

- भारतीय वन नीति, 1952
- वन संरक्षण अधनियिम, 1980
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
- अन्य संबंधति अधनियिम:
 - वन्यजीव संरक्षण अधनियिम 1972
 - राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986
 - अनुसूचति जनजात और अन्य परंपरागत वन नविासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियिम, 2006

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2023)

1. एक बार यदकिेंद्र सरकार कसिी क्षेत्र को 'समुदाय प्रारक्षणति' अधसूचति कर देती है, तो
2. राज्ज का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नयित्त्रक प्राधकिारी बन जाता है।
3. ऐसे क्षेत्र में शकिार की अनुमति नहीं होती है।
4. ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संगरह करने की अनुमति होती है।
5. ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषिप्रथाओं की अनुमति होती है।

उपर्युक्त में से कतिने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (b)

प्रश्न. "मयिावाकी पद्धति" कसिके लयि वखियात है: (2022)

- (a) शुषक और अरद्ध-शुषक क्षेत्रों में वाणजियकि कृषिका संवर्द्धन
- (b) आनुवंशकित: रूपांतरति पुषुषों का प्रयोग कर उदयानों का वकिास
- (c) शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन
- (d) तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण

उत्तर: (c)

प्रश्न. टहिरी जलवदियुत परसिर नमिनलखिति में से कसि नदी पर स्थति है? (2008)

- (a) अलकनंदा
- (b) भागीरथी
- (c) धौलीगंगा
- (d) मंदाकनी

उत्तर: (b)

प्रश्न. तपोवन और वषिणुगढ जलवदियुत परयिोजनाएँ कहाँ स्थति हैं? (2008)

- (a) मधय प्रदेश
- (b) उत्तर प्रदेश
- (c) उत्तराखंड
- (d) राजस्थान

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/forest-advisory-committee-fac->

